कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:— .... दिनांक:— ....

O/c

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :— **गोबिन्दपुर—टुण्डी—गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :— **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 500 दिनांक 28.02.2018, पत्रांक 501 दिनांक 28.02.2018 एवं पत्रांक 574 दिनांक 12.03.2018**

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 16.8064 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु वन विभागीय पत्रांक 427 दिनांक 29.01.2018 द्वारा कुल 13 शर्त्तों पर सैंद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। स्टेज—I में लगाई गई सभी शर्त्तों का अनुपालन एवं कार्यानुमति देने की अनुशंसा प्रासंगिक पत्रों द्वारा गिरीडीह वन प्रमंडल एवं धनबाद वन प्रमंडल हेतु प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज—I में लगाई गई शर्त्तों का अनुपालन प्रमंडलवार बिन्दुवार निम्नवत् है :—

क्र0सं0	शर्त्ते	अनुपालन की स्थिति
(क)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0—01**
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका सं०—WP(C) 2002/1995 में दिनांक—28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 16.8063 हे0 वनभूमि के एन०पी०भी० की राशि वसूलनीय होगी।	सिविल रीट याचिका सं0 &WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 16.8063 हे0 वनभूमि में धनबाद वन प्रमंडल अन्तर्गत 14.92 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु NPV 14.92 x 8.03 = 119.808 लाख एवं गिरीडीह वन प्रमंडल अन्तर्गत 1.8863 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु NPV 626000 x 1.8863 = रू0 1180824/— कुल 11980800 + 1180824 = 13161624/- रू0 Online चलान से 26 फरवरी 2018 को CAMPA खाता में जमा कर दी गयी है। (रसीद की छायाप्रति संलग्न) — **अनु0—02**
(ग)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी/अंतर राशि जमा करना वाध्यकारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0—03**

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\Govindpur-Tundi-Giridih_Road_16.8063 ha.doc

15-3-18

(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि CAMPA खाते में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 13161624/- रू0 Online चलान से 26 फरवरी 2018 को CAMPA खाता में जमा कर दी गयी है। (रसीद की छायाप्रति संलग्न) **अनु0–02**
(ड.)	प्रस्तावित वन भूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभंव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 416 से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–05**
(च)	पथ निर्माण के उपरांत पथ के दोनो किनारे पर जहाँ संभव हो सके पथ के किनारे वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–06**
(छ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है, उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को वाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–07**
(ज)	वन भूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp स्थापित नहीं किया जायगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–08**
(झ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों का ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा जाँच की जायगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–09**
(ञ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राण्यिों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–10**
(ट)	अपयोजन होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना के अलावा अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–11**
(ठ)	सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वन भूमि पर पथ निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्तता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–12**
(ड)	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबबधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त्त मान्य है। इस हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–13** संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जायगा।

15.03.18

D:\SUNIL\Proposal (K)\Road\Govindpur-Tundi-Giridih_Road_16.8063 ha.doc

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। संबंधित दोनों वन प्रमंडलों से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन–तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 16.8063 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अन्तिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। **वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।**

इस परियोजना के संबंध में यह भी सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 574 दिनांक 12.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज–I में लगाई गई सभी देय राशि जमा कर दी गई है तथा C.A Levies Format भर दिया गया है। इस हेतु कार्यानुमति की माँग की गयी है। Levies Format को प्रतिहस्ताक्षर कर भेजते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार के पत्रांक F.No.- 11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 के आलोक में कार्यानुमति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।
तीन–तीन प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... **दिनांक** ....

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक–एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 301 **दिनांक** 15.3.18

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धनबाद एवं गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.18
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

15.3.18

झारखण्ड सरकार

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

: - 06542-265440 Email – rccf.bokaro@jharkhandmail.gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 574 / दिनांक : 12/03/2018 /

864
13/3/18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **गोविन्दपुर–टुण्डी–गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन प्रमण्डल गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत 1.8863 हे0 हेतु स्टेज–1 के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–22/2017–427, राँची दिनांक 29.01.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि–22/2017–427, राँची दिनांक 29.01.2018 के द्वारा गोविन्दपुर–टुण्डी–गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति (स्टेज–I) दी गई थी, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 500 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह से संबंधित एवं पत्रांक 501 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा प्रादेशिक अंचल, बोकारो से संबंधित समर्पित की जा चुकी है।

उसी क्रम में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 415 दिनांक 10.03.2018 (**छायाप्रति संलग्न अनु0–1**) एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह के पत्रांक 315 दिनांक 10.03.2018 (**छायाप्रति संलग्न अनु0–2**) के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा कार्यानुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र एवं Remittance of fund in AD-HOC CAMPA में राशि जमा करने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी पाँच–पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

अनु0– यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।
12.03.18